न्यूज ब्रीफ

मयंक गुप्ता ने जीता मिस्टर यूपी व मिस्टर उन्नाव का खिताब

ट्राफी के साथ विजयी मयंक गुप्ता।

बांगरमऊ उन्नाव, अमृत विचार : नगर के चौघड़ा मोहल्ला निवासी मयंक गुप्ता ने उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में आयोजित साईं डांस एकेडमी के कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन कर मिस्टर यूपी व मिस्टर उन्नाव का खिताब जीता। गल्ला व्यापारी विनोद कुमार के बेटे मयंक को यह सफलता लगातार 4 प्रयासों के बाद मिली। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय परिवार, प्रशिक्षक शैलू वर्मा व सेमी सर के मार्गदर्शन को दिया। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों और नगरवासियों ने खुशी जाहिर की है।

दो बाइकों की टक्कर में दो घायल, एक रेफर

फतेहपुर चौरासी उन्नाव, अमृत विचार : थानाक्षेत्र के हरदोई–उन्नाव मार्ग पर हफीजाबाद के पास 2 बाइकों की आमने–सामने टक्कर भिड़ंत में 2 लोग गंभीर घायल हो गए। सफीपुर निवासी असलम सोमवार सुबह हफीजाबाद स्थित अपनी दुकान जा रहे थे। तभी सामने बांगरमऊ से आ रहे बाइक सवार अमृत लाल से उनकी टक्कर हो गई। लोगों की मदद से दोनों को सीएचसी फतेहपुर चौरासी में भर्ती कराया गया। जहां असलम को गंभीर देख डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया।

70 साल की वृद्धा की पीट-पीटकर हत्या

बेटी को गाली देने का विरोध करने पर हमलावर सगे भाइयों ने दिया घटना को अंजाम, मुकदमा दर्ज

संवाददाता, हरदोई

अमृत विचारः 70 साल की बुजुर्ग बेटी को गाली-गलौज किए जाने पर बाहर निकली और बचाव करते हुए विरोध करने लगी, इसी बात पर दो सगे भाइयों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बेटी और नातिन उसे बचाने पहुंची थी। लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी अधमरा कर दिया। बुजुर्ग को एक निजी हास्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

बताया गया है कि रविवार की शाम को कासिमपुर थाने के अलावलपुर गांव में जगन्नाथ की शादीशुदा बेटी लक्ष्मी पत्नी सुनील कुमार घर के बाहर बैठी थी, उसी बीच मुकेश पुत्र राजकुमार और उसका भाई मेवालाल वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों नशे में थे और लक्ष्मी को गाली-गलौज करने लगे। घर के अंदर लक्ष्मी की 70 साल की मां रमदेई सारी बातें सुन रही थी, वह बाहर निकली और विरोध करने लगी, इसी बात पर मुकेश और उसके भाई मेवालाल उसकी लाठी-डंडे से पिटाई करने लगे, लक्ष्मी और लक्ष्मी की बेटी पूजा बचाने पहुंची, हमलावरों ने उन दोनों को भी अधमरा कर दिया। रमदेई को एक निजी हास्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रमदेई के दामाद सुनील कुमार की तहरीर पर मुकेश और उसके भाई मेवालाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जांच करते हुए हमलावरों की तलाश शुरु कर दी है।

रमदेई

मां की गैर इरादतन हत्या में दोषी पुत्र को दस साल सजा

- शराब के लिए पैसे न देने पर घटना को दिया अंजाम

हरदोई : सिर पर ईंट से वारकर अपनी माँ की गैरइरादतन हत्या के आरोपी पुत्र को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन कुसुम लता ने दस साल की सजा सुनाई है।इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति मृतका के वारिसों को देने के भी आदेश अपर जिला जज ने दिए है। अभियोजन पक्ष के अनुसार संडीला कोतवाली क्षेत्र के सनई गांव निवासी रामखिलावन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि उसका पुत्र राजकुमार 30 जून 2022 को अपनी मां के साथ खेत पर गया था। राजकुमार की अपनी मां से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते उसने अपनी मां के सिर पर ईट मार दी थी।जिससे वह बेहोश हो गई थी। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए लखनऊ ले गए थे। उसी दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए इसके साथ ही 15 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।

निर्माण कार्य के दौरान महिला से मारपीट चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

सफीपुर उन्नाव, अमृत विचार : कोतवाली क्षेत्र के जमालुद्दीनपुर गांव में पैतृक प्लाट पर निर्माण करा रही एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता रेखा पत्नी रोहित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि निर्माण के दौरान गांव के विजय, नरेंद्र, शिवम व मीरा ने गालीगलौज के साथ उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि दबंगों ने लात–घूंसों से पीटने के साथ ही बाल पकड़कर घसीटा जिससे वह अचेत हो गई। शोर सुन आए ग्रामीणों ने बीच–बचाव कराया। जाते–जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चारों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि तहरीर के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर जांच चल रही है।

मिष्ठान विक्रेताओं की गोष्टी आज

हरदोई : उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उ .प्र . शासन द्वारा महत्वकाँक्षी योजना एक जनपद एक व्यंजन योजना संचालित की गई है, जिसमें जनपद हरदोई में लड्डू, आलू पुरी एवं लौझड व्यंजन चिन्हित किये गये है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को सायं 5 .30 बजे जनपद की सभी मिष्ठान इकाइयों एवं सम्बन्धित जनों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन विवेकानन्द सभागार, कलेक्ट्रेट हरदोई में आयोजन किया गया है।

2 भाइयों समेत 3 को तीन-तीन साल की कैद

संवाददाता, हरदोई

- अधिवक्ता पर चाकू व बेल्ट से किया था जानलेवा हमला

अमृत विचारः पुरानी रंजिश के चलते नौ साल पहले अधिवक्ता पर जानलेवा हमला और लूट के मामले में जिला जज रीता कौशिक ने दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए प्रत्यक्षदर्शी, घायल के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य पूरी तरह विश्वसनीय हैं। सांडी थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर गांव निवासी दिनेश चंद्र शुक्ला ने 14 अगस्त 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 13 अगस्त 2017 इनके बेटे अधिवक्ता अमित को खेरवा स्थित अमजदपुर बस अड्डे के पास पुरानी रंजिश के चलते विपुल पाण्डेय, शिवांशु पाण्डेय और शिवम पाण्डेय ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि तीनों ने बेल्ट और चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा उनका मोबाइल फोन और 10 हजार नकद लूट लिए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घायल अधिवक्ता, प्रत्यक्षदर्शियों समेत 11 गवाहों को पेश किया गया। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में अधिवक्ता के चेहरे की मैक्सिला हड्डी में फ्रैक्चर सहित कई गंभीर चोटों की पुष्टि हुई थी। बचाव पक्ष ने घटना को मोटरसाइकिल दुर्घटना का परिणाम बताते हुए मुकदमे को झूठा बताया। लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य और विवेचना के दौरान एकत्र प्रमाणों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह किया जा सके। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद जिला जज ने सजा सुनाई है।

चोरी की दो घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा

- सात शातिर गिरफ्तार, नकदी और आभूषण बरामद

शाहाबाद हरदोई, अमृत विचार : कोतवाली क्षेत्र के के मोहल्ला खेड़ा बीबीजई और ग्राम अमिरता में हुई चोरी की अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने सात लोगों को चोरी की गई नगदी व आभूषण बरामद कर दोनों घटनाओ का खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ग्राम अमिरता निवासी सुरेश कुमार पुत्र भैयालाल ने 3 जुलाई को प्रार्थना पत्र देकर तीन नामजद और चार अज्ञात के विरुद्ध घर से आभूषण, गेहूं व बर्तन चोरी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।पुलिस ने चोरी की घटना में अरविन्द पुत्र ओम प्रकाश, संजू पुत्र शेरसिंह निवासीगण मोहल्ला खेडाबीबीजई को चोरी का सामान बेचकर अर्जित किये 7, 050 रुपए सहित गिरफ्तार किया है। दूसरी घटना में कस्बे के मोहल्ला खेड़ा बीबीजई निवासी नवेद अफरोज पत्नी आसिफ अहमद खां ने 28 जून को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात चोरों द्वारा घर से आभूषण व बर्तन आदि सामान चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा चोरी की घटना में प्रकाश में आए अलीम, अक्षय उर्फ संदीप, राज, अमन निवासीगण मोहल्ला खेडाबीबीजई और आदित्य निवासी साहुकारा थाना फरीदपुर जनपद बरेली को चोरी के सामान व 1,13,000 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है।

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

उप. मु. सिग. एवं दू. सं. अभि./नि.–II/लखनऊ, कार्यालय संकुल, निर्माण संगठन उ.रे., चारबाग लखनऊ–226004, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से निम्नलिखित प्रपत्र पर ई–निविदा **दो पैकेट प्रणाली** के तहत निम्नलिखित कार्य के हेतु आमंत्रित की जा रही हैं:–

1.	कार्य का नाम एवं स्थान	उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के BSB-DDU खंड के बीच 3–4 लाइन के काम के संबंध में व्यासनगर स्टेशन यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य पर व्यासनगर स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम (डिस्ट्रिब्यूटेड टाइप: 1 सेंट्रल और 4 ईआई हट्स) के साथ इनडोर और आउटडोर सिग्नलिंग कार्यों का प्रावधान, व्यासनगर स्टेशन पर ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का प्रावधान के साथ KEI-VYN खंडों में ईआई आधारित ऑटोमैटिक सिग्नलिंग में आवश्यक संशोधन एवं EI-VYN-DDU खंडों में संबंधित दूरसंचार कार्य।
2.	पूरा होने की अवधि	09 (नौ) महीने (स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से)
3.	कार्य की अनुमानित लागत	रु. 25,62,27,591.38 (रुपये पच्चीस करोड़ बासठ लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ इक्यानवे और पैसा अड़तीस केवल)
4.	निविदा दस्तावेज राशि एवं धरोहर राशि	रु. शून्य एवं धरोहर राशि आई आर ई पी एस पर एन आई टी में उल्लिखित है।
5.	ऑफर की वैधता	90 दिन निविदा खुलने की तिथि से
6.	निविदा बंद होने तथा निविदा खुलने की तारीख एवं समय	19.08.2026 को 11:30 बजे तक आई आर ई पी एस वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर निविदा अपलोड की जा सकती है। बोलीदाता ई–टेंडर में भाग ले सकता है, निविदा 19.08.2026 को 11:30 बजे खोली जाएगी।
7.	वेबसाइट विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा दस्तावेजों को देखा जा सकता है	विस्तृत ई–टेंडर नोटिस उत्तर रेलवे की वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदा दस्तावेज आई आर ई पी एस की वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर 28.07.2026 से 19.08.2026 तक 11:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। ई–टेंडर में भाग लेने की इच्छा रखने वाले बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खुद को पंजीकृत करें, जिसके लिए उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 के तहत CCA द्वारा जारी तृतीय श्रेणी डिजिटल प्रमाण पत्र (यदि पहले से प्राप्त नहीं हुआ है) प्राप्त करना होगा। उपरोक्त निविदाओं के संबंध में अन्य सभी नियम और शर्तें निविदा दस्तावेज में दी गई हैं। विस्तृत निविदा सूचना को उपरोक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकता है।

निविदा सूचना संख्या: 287–सिग/सी.–II/लखनऊ/निविदा/05/26
दिनांक: 28.07.2026 2581/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

जर्जर तारों से कश्यप मोहल्ले में 2 महीने से बिजली संकट, ग्रामीण आक्रोशित

परियर उन्नाव, अमृत विचार : विद्युत उपखंड सफीपुर क्षेत्र के परियर कस्बा स्थित कश्यप मोहल्ले में बीते 2 महीनों से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। पतले व जर्जर तारों के कारण हफ्ते में 2 बार फाल्ट होता है जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। स्थानीय निवासी अनिल, प्रदीप, मिथिलेश, विमलेश, दिलीप, आशीष का आरोप है कि लाइन ठीक करने के नाम पर लाइनमैन पैसे मांगता है। अफसरों की अनदेखी से भीषण गर्मी में कूलर–पंखे ठप हैं। जिससे बुजुर्गों, बच्चों व छात्रों को परेशानी हो रही है। बरसात में अंधेरे के कारण जहरीले जीवों का खतरा बना रहता है। विभागीय उदासीनता से त्रस्त ग्रामीणों ने जल्द ही सदर विधायक पंकज गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर गुणवत्तापूर्ण मोटे तार लगवाने की मांग करने की बात कही है। साथ ही डीएम व एसडीओ एजाज अहमद से मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

विद्युत पोल पर लगे जर्जर तार।

दो अलग-अलग हादसों में तीन घायल

बांगरमऊ उन्नाव, अमृत विचार : क्षेत्र में हुए 2 अलग–अलग सड़क हादसों में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों को गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पहला हादसा आलमपुर रेतवा गांव के पास हुआ। जहां ईधनीमऊ निवासी कुशेहर की बाइक फतेहपुर चौरासी के कुंडा निवासी उमेश की बाइक से टकरा गई। इसमें दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दूसरा हादसा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे की हवाई पट्टी स्थित बाबा कुटी के पास हुआ। रोहतक से लखनऊ जा रही डीसीएम सड़क पर खड़े कंटेनर में पीछे से घुस गई। इसमें डीसीएम का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मैनपुरी निवासी चालक कौशल सिंह उसमें फंस गया। यूपीडा की रेस्क्यू टीम ने ढाई घंटे की मशक्कत के बाद उसे निकाला। एसचसी में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने तीनों को गंभीर देख रेफर कर दिया।

बारिश में बहा देवीपुरवा का मिट्टी का बंधा, दो गावों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

परियर उन्नाव, अमृत विचार : सदर तहसील क्षेत्र के देवीपुरवा गांव के पास गंगा नदी के कटान से बचाव के लिए बना मिट्टी का बंधा बारिश में बह गया। इससे देवीपुरवा व बंदन पुरवा गांव में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण तोताराम, शेरू यादव, लवकुश, शत्रोहन, मनीष व रामबाबू आदि ने बताया कि बंधा बहने से अब मामूली बाढ़ में भी गांव जलमग्न हो जाएंगे। पानी का खतरा देख ग्रामीण रात–रात भर जागकर गंगा नदी के जलस्तर पर नजर रखने को मजबूर हैं। जरा सी लापरवाही से बाढ़ का पानी घरों में घुस सकता है। बंधा टूटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद होने की आशंका है। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व सदर विधायक से तत्काल संज्ञान लेकर बंधे की मरम्मत कराने व पक्के बंधे का निर्माण कराने की मांग की है। ताकि दोनों गांवों को तबाही से बचाया जा सके।

बंधे के पास मौजूद ग्रामीण।

गुरु पूर्णिमा मेले से पहले व्यवस्थाएं हुई ध्वस्त

परियर उन्नाव

- मानकों की अनदेखी से हादसे की आशंका लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

अमृत विचारः आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा/गंगा स्नान व 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह को लेकर परियर गंगातट पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। हालांकि, मेले से ठीक पहले प्रशासन व कार्यदाई संस्था की लापरवाही उजागर हुई है। तट पर अब तक सफाई व्यवस्था बदहाल है। श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर सड़क व पुलिया निर्माण में खानापूर्ति हो रही है।

स्थानीय निवासियों गुड्डू, भानु व सुधीर के मुताबिक सड़क पर सिर्फ पत्थर व बालू डालकर घटिया निर्माण कराया गया है। चिंताजनक बात यह है कि अधूरी पुलिया से ही आवागमन शुरू करा दिया गया है। जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। डीएम के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने के बावजूद काम अधूरा पड़ा है। इस ढुलमुल रवैये से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

सड़क निर्माण में डाले गए पत्थर। ● अमृत विचार

परियर : तीर्थ पुरोहित लवकुश द्विवेदी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा व सावन से ठीक पहले गंगातट पर सफाई, रोशनी व रास्तों के इंतज़ाम न करके प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है।

लवकुश द्विवेदी

परियर : तट के पंडा अरुण तिवारी ने बताया कि गंगातट जाने वाले रास्ते पर पुलिया का काम अधूरा छोड़ सिर्फ मिट्टी डाल दी गई है। रोजाना दर्जनों शव इसी रास्ते से आते हैं। बारिश में सड़क धंसने व हादसे का खतरा है। लेकिन ठेकेदार डीएम का आदेश भी नहीं मान रहा है।

अरुण तिवारी

परियर : स्थानीय निवासी रामप्रकाश यादव ने कहा कि बिना किसी मानक व जांच के रात में सिर्फ मिट्टी–पत्थर डाले जा रहे हैं। यदि मेले से पहले पक्का काम नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन को मजबूर होंगे।

रामप्रकाश

युवती को भगा ले जाने का आरोप, केस दर्ज

सफीपुर उन्नाव, अमृत विचारः कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 20 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पिता का आरोप है कि 25 जुलाई की रात 9 बजे काकोरी लखनऊ निवासी सुभाष पुत्र बेचा उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। परिजनों के अनुसार युवती घर में रखे 45 हजार रुपये व सोने की झुमकी भी ले गई है। काफी खोजबीन के बाद भी सुराग न मिलने व आरोपी का फोन बंद आने पर परिजनों ने पुलिस की शरण ली। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि केस दर्ज कर युवती की बरामदगी व आरोपी की तलाश जारी है।

खुले में बिक रहे चाइनीज व फास्ट फूड

सफीपुर उन्नाव

- लोगों की सेहत से किया जा रहा खिलवाड़ जिम्मेदारों ने साध रखा है मौन

अमृत विचारः कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों के चौराहों पर खुले में बिक रहे चाइनीज व फास्ट फूड व्यंजन सेहत के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। मोमोज, चाऊमीन, कबाब-पराठा व बर्गर की दुकानों पर शाम होते ही लोगों की भीड़ जुटती है। लेकिन वहां साफ-सफाई के मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि इन दुकानों में बिना दस्ताने व गंदे हाथों से भोजन तैयार किया जा रहा है। मक्खियों की भनभनाहट, घटिया रिफाइंड व बासी सामग्री के इस्तेमाल से लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों के चस्के में लोग पेट, लिवर व किडनी की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय निवासी अवधेश सिंह फौजी ने कहा कि चटनी व मसालों के मानक न होने से बीमारियों का ग्राफ बढ़ा है। समाजसेवी नागेंद्र सिंह सेंगर ने खाद्य विभाग से छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की। पीएचसी के फिजिशियन डॉ. बृजेश सिंह ने चेतावनी दी कि फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाले रसायन लिवर को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं और गंभीर इंफेक्शन पैदा करते हैं। इसलिए बाहर के खुले खाने से परहेज करें

सफीपुर में संचालित बेमानक फास्टफूड की दुकान।

छात्रों ने प्रस्तुत किए डिजिटल समाधान

बांगरमऊ उन्नाव

- श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय हैकाथॉन-2026 का आयोजन

अमृत विचारः क्षेत्र के गांव रसूलपुर रूरी स्थित श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को हैकाथॉन-2026 का आयोजन हुआ। प्राचार्य डॉ. कृष्णकांत दुबे की अध्यक्षता व सह-नोडल अधिकारी डॉ. रजनीश कुमार के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने अपनी डिजिटल दक्षता, तकनीकी प्रतिभा व नवाचार क्षमता का प्रदर्शन करते हुए व्यावहारिक समस्याओं के अभिनव डिजिटल समाधान प्रस्तुत किए। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की तकनीकी टीम डॉ. अंशू सिंह व इंजीनियर प्रज्ञा त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को समस्याओं के विश्लेषण व प्रभावी तकनीकी समाधान विकसित करने का मार्गदर्शन दिया। प्राचार्य ने कहा कि डिजिटल युग में विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल व नवाचार क्षमता विकसित करना बेहद ज़रूरी है। इसमें डॉ. नलिन सिंह, डॉ. नवनीत कौर, डॉ. मनीषा बाजपेई, डॉ. अरविन्द कुमार, अमित कुमार, डॉ. अनुराग रावत, डॉ. कुलदीप शुक्ला, डॉ.दयानन्द, अनिल यादव आदि रहे।

कार्यक्रम में प्रतिभाग करते छात्र–छात्राएं। ● अमृत विचार

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, रायबरेली
निकट- हाथी पार्क, रायबरेली-229001
फोन: 8601804406, ईमेल: sarrae@bankofbaroda.com

बिक्री सूचना चल सम्पत्ति हेतु

चल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना "अनुर्गत-IV-A [नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान देखें]
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण एवं विशेष रूप से ऋणी (यों) तथा जमानतकर्ता को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित चल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार युक्त सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/जमानतकर्ता/प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 07.09.2026 एवं ई-नीलामी तिथि: 08.09.2026 02.00 PM to 06.00 PM

क्र. सं.	ऋणी का नाम व पता/जमानतकर्ता	बंधक चल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि	आरक्षित राशि / धरोहर राशि / बोलीवृद्धि राशि
1	ऋणकर्ता:- श्री प्रशांत सिंह पुत्र श्री राम करण सिंह एवं श्रीमती कल्पना सिंह पत्नी श्री प्रशांत सिंह, दोनो निवासी मकान सं.-1318, नई जनता, तहसील- महराजगंज, जिला- रायबरेली- 229306 जमानतकर्ता - श्री राजेंद्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, मकान सं. 209, मझिगवां, हरदोई थाना हरचंदपुर, रायबरेली - 229303	Manufacturing Year: 11/2014 Class: L.M.V. (JEEP/GYPSY) Maker's Name: TOYOTA FORTUNER 3.0L2WD AT TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR LTD. Chassis No.: MBJ11JV1040362851114 Engine No.: 1KDU666923 Registration Number: UP33AJ6381	रू. 17,12,963.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च (मांग सूचना व कब्जा सूचना के बाद अगर कोई भुगतान हो, तो घटाकर)	रू. 4,03,560/- रू. 40,356/- रू. 10,000/-

नोट: सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2) और 8(6) के तहत उप सांविधिक 30 दिनों की बिक्री सूचना हेतु सूचना। बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक का अवलोकन करें- www.bankofbaroda.in/ & Baanknet website: https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं0 8601804406 से सम्पर्क करें।
दिनांक: 28.07.2026 स्थान : रायबरेली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

अमृत विचार क्लासीफाइड
विज्ञापन हेतु अमृत विचार कार्यालय में सम्पर्क करें

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सय्यद नायाब अहमद (SYED NAYAB AHMAD) था जिसे बदलकर नायाब अहमद (NAYAB AHMAD) कर लिया है। भविष्य में मुझे (NAYAB AHMAD) नाम से जाना पहचाना जाये। पुत्र लईक अहमद, नन्दरौली, बीकापुर, फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश– 224204

सूचना
मेरे पुत्र के अंकपत्र व सह प्रमाण पत्र में मेरा नाम MOHD SAFIK अंकित है, जो कि गलत है। अन्य दस्तावेजों में सही नाम मुहम्मद सफीक (MUHAMMAD SHAFEEK) है। इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। मुहम्मद सफीक (MUHAMMAD SHAFEEK) ग्रा व पो. जगतपुर, तह. ऊंचाहार, जिला रायबरेली, यूपी

सूचना
यह कि मैने अपने पुत्र रमन व उसकी पत्नी पूजा, व रविकुमार व उसकी पत्नी ज्योति का चाल चलन सही न होने कारण अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करते हुए सभी प्रकार से संबंध विच्छेद कर लिए। अब वह लोग अपने कार्य के स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरी कोई जिम्मेदारी नही होगी। उर्मिला पत्नी स्व. मुन्नालाल निवासी अहेरथाना तिर्वा, जन. कन्नौज

सूचना
मैं दिलीप कुमार मिश्रा पुत्र रामसेवक मिश्रा निवासी:–363 ई0डब्लू0एस0 भाग–3 गंगागंज कालोनी पनकी कानपुर नगर। मेरा भवन संख्या 363 ई0डब्लू0एस0 भाग–3 गंगागंज कालोनी पनकी कानपुर नगर के मूल दस्तावेज जैसे आवंटन, कब्जा पत्र एवं मूल डीड कहीं खो गयी है जो कि मेरे स्वामी की थी।

सूचना
मेरा यूपी बोर्ड हाईस्कूल वर्ष 2021, अनुक्रमांक 211194852 का अंकपत्र सह प्रमाण पत्र वास्तव में कहीं खो गया है। विशाल कुमार पुत्र धर्मेश कुमार, निवासी पूरे पांडेय मजरे सराय मानिक जिला रायबरेली

सूचना
मेरा यूपी बोर्ड हाईस्कूल वर्ष 2024, अनुक्रमांक 1241177179, संस्थागत का अंकपत्र सह प्रमाण पत्र वास्तव में कहीं खो गया है। अभिनव निर्मल पुत्र रुची निर्मल ग्रा./पो. खीरों, ब्लाक खीरों, तह. लालगंज, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश पिन 229205

सूचना
मैं राम लखन पुत्र गंगू निवासी–562/43, रामगढ़ कालोनी, कानपुर रोड, एल0डी0ए0 कॉलोनी, लखनऊ, उ0प्र0, मेरा वास्तविक नाम राम लखन RAM LAKHAN पुत्र गंगू GANGU है, जो आधार कार्ड में दर्ज है। जबकि अन्य अभिलेखों में मेरा नाम राम नारायण पाण्डेय RAM NARAYAN PANDEY पुत्र OMKAR NATH PANDEY दर्ज है जो कि गलत है। उपरोक्त दोनों नाम राम लखन RAM LAKHAN पुत्र गंगू GANGU व RAM NARAYAN PANDEY पुत्र OMKAR NATH PANDEY मेरे है, तथा दोनों नाम एक व्यक्ति के है। इन्हे दो अलग व्यक्ति के रूप में न पहचाना जाय।

सूचना
मैंने अपने पुत्र कमल बाबू व उसकी पत्नी पूनम उर्फ सोमवती के गलत आचरण एवं चाल चलन के चलते संबंध विच्छेद कर समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उनके किसी भी कृत्य या लेनदेन से मेरा व मेरे परिवार का कोई वास्ता या सरोकार नहीं होगा वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। रामेश्वर दयाल पुत्र मोतीलाल व कुसमा देवी पत्नी रामेश्वर दयाल, निवासीगण– मसूदपुर–थाना –कुदरकोट –तहसील –बिधूना –जिला–औरैया।

सूचना
मैं शाहिद खान (उर्फ गुड्डू ड्राइवर) पुत्र स्व0 रज्जू खान निवासी खंजनपुरवा तिकुनिया पार्क के पास थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई, मैने अपने पुत्र राहिल खान उर्फ राजू (आधारकार्ड सं0 4038 1646 8032) को उसके गलत फेल व बुरी सोहबत व गलत चाल–चलन से अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल (आक) कर उससे समस्त रिश्ता नाता समाप्त कर दिये हैं। यह कि उसके किसी भी कृत्य अथवा देनदारी हेतु मेरा व मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना
It is hereby informed to the general public that I have changed my name from MOHAMMAD SHOAIB to MOHD SHOAIB, In the future, I shall be known and recognized by the MOHD SHOAIB S/O MOHD SABIR Address: -126, PRAKASH LOK COLONY, INDIRA NAGAR, PS-GHAZIPUR, LUCKNOW, UP Note: OLD NAME : MOHAMMAD SHOAIB NEW / CHANGED NAME : MOHD SHOAIB

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैने अपना नाम RUSRA FARHEEN से बदलकर BUSHRA FARHEEN कर लिया है तथा मेरे जानने व पहचानने वाले नाते बात व रिश्तेदार मुझे नये नाम BUSHRA FARHEEN से जाने पहचाने व पुकारे। BUSHRA FARHEEN W/O-MUKHTAR AHMAD पता-339/A, MIRZAHADI PURA पोस्ट– MAUNATH BHANJAN थाना– DAKSHIN TOLA DIST- MAU(U.P.)

सूचना
It is hereby informed to the general public that I have changed my name from HAFIZ ABDUL HAQUE to ABDUL HAQUE, In the future, I shall be known and recognized by the ABDUL HAQUE S/O ABDUL RAHMAN Address: -VILL-BANGANWA, POST-TIKAIT NAGAR, BARABANKI, UP Note: OLD NAME : HAFIZ ABDUL HAQUE NEW / CHANGED NAME : ABDUL HAQUE